अभिव्यक्ति

संख्या 31011/2/2003-स्था.(क)

भारत-सरकार

कार्यकाल, लोक-शिक्षा तथा पेशेवर-मंत्रालय

(कार्यकाल और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, विनाकर 16 जून, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली, 1988) -नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच हवाई यात्रा से छुट्टी यात्रा रियायत में दील 

अभिव्यक्ति को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12 (1) में बोले देते हुए, सरकार ने, समृह 'क' और समृह 'ख' के सरकारी कर्मचारियों को, दो वर्ष की अवधि के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत लेकर नई दिल्ली से श्रीनगर तक के बीच नेशनल केरियर की इकानी (वाय) क्लास से हवाई यात्रा करने और तदनुसार हवाई यात्रा के किराए की प्रतिपूर्ति किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागु होंगे, जो अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत लेकर श्रीनगर जाना चाहते हैं वर्तमान अवस्था में, ये अपनी यात्रा विल्ली से शुल्क करें अथवा श्रीनगर तक की यात्रा में, दील्ली मार्ग में पड़ता हो।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्राप्त होंगे।

3. भारतीय लेखा परिषद और लेखा विभाग में कार्यकाल कर्मचारियों पर जहाँ तक इन आदेशों को लागू किए जाने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रीजक्ष तथा प्रारंभिक यात्रा लेकर जाने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

दीपक 
(बी. म. फिल्डल)
भारत-सरकार के अध्यक्ष

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग!